

औद्योगिक प्राधिकरणों में लागू होगा मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस-2026; औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने की व्यापक समीक्षा

औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए एकरूप, पारदर्शी एवं निवेशक-अनुकूल उपविधियों पर दिया जोर

प्रस्तावित सुधारों से अनुमोदन प्रक्रिया होगी सरल, वर्टिकल डेवलपमेंट, एफएआर को मिलेगा बढ़ावा और निवेश इकोसिस्टम होगा मजबूत

लखनऊ, 28 जुलाई: उत्तर प्रदेश को आधुनिक एवं निवेशक-अनुकूल औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' ने इन्वेस्ट यूपी में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (आईडीए) के मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस-2026 के प्रस्तावित मसौदे की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) श्री आलोक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, श्री विजय किरण आनंद तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रस्तावित मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस की विस्तार से समीक्षा की गई। इन नियमों का उद्देश्य प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए एक समान नियामकीय ढांचा तैयार करना, विकास मानकों को सरल, पारदर्शी एवं निवेशक-अनुकूल बनाना तथा औद्योगिकीकरण की गति को तेज करना है। साथ ही, भूमि के अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग के लिए वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने तथा राज्य की नियोजन व्यवस्था को राष्ट्रीय शहरी नियोजन सुधारों के अनुरूप विकसित करने पर भी जोर दिया गया।

अधिकारियों ने अवगत कराया कि इन नियमों का मसौदा तैयार करने से पूर्व अग्रणी राज्यों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की विस्तृत चर्चा तथा सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त 2,200 से अधिक सुझावों को शामिल करते हुए अंतिम मसौदे को और अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी बनाया गया।

प्रस्तावित उपविधियों में छोटे विकास कार्यों के लिए डीमड अप्रूवल, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का युक्तिकरण, लचीले विकास मानक, सरल पार्किंग प्रावधान तथा औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय, संस्थागत, लॉजिस्टिक्स, आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर एवं मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज़) परियोजनाओं के लिए आधुनिक नियोजन मानकों का प्रावधान किया गया है। इन सुधारों से ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, नियामकीय जटिलताएं कम होंगी तथा प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं सृजित होंगी।

प्रस्तावित प्रमुख प्रावधान:

- वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा
- सेटबैक मानकों का युक्तिकरण
- अधिक एफएआर (FAR) की सुविधा
- भूमि के मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज़) को प्रोत्साहन

- डिफिकल्टी रिमूवल कमेटी का गठन

बैठक के दौरान श्री नन्दी ने कहा कि मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए जो निवेशकों को सरल, पारदर्शी एवं सुगम अनुभव प्रदान करें तथा प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में इनका समान रूप से पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि भूमि के बेहतर उपयोग और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक एफएआर एवं वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नियमों का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी निवेशक को अनावश्यक उत्पीड़न या परेशानी का सामना न करना पड़े।
